तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर/1114/2006/बांरा** **रामकरण बनाम रितु कटियाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.25	**एकल–पीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण। श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थी। **निर्णय** यह निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 के अन्तर्गत न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 06–12–05 विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि ग्राम तलावडा में स्थित आराजी खसरा नं0 126 व 126/422 के खातेदारों प्रेमनारायण वगैरहा ने दिनांक 16.9.94 को 1/2 हिस्से की भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 रितु कटियाल को बेचान कर दिया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार बांरा ने अपने आदेश दिनांक 04.12.98 से अप्रार्थी संख्या 1 रितु कटियाल के पक्ष में नांमांतरकरण संख्या 103 स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर, बांरा के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.02.2003 से अपील स्वीकार करते हुये नामांतरकण संख्या 103 को निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने द्वितीय अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.12.2005 अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की है। द्वितीय अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर/1114/2006/बांरा** **रामकरण बनाम रितु कटियाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी । विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहरात हुये कथन किया है कि विवादित भूमि के मूल खातेदार प्रेमनारायण वगैरा के विरूद्व प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की माता घीसीबाई ने एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया हुआ था। उक्त वाद में दिनांक 31.05.91 को प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। उक्त स्थगन आदेश के होते हुये प्रेमनारायण वगैरा ने दिनांक 16.09.94 को अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का बेचान कर दिया। न्यायालय का स्थगन होने के कारण खातेदारान को विवादित भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था एवं ऐसे अधिकारविहीन विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक हासिल नहीं होते है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.09.94 को जिला न्यायाधीश, बांरा ने भी अपने आदेश दिनांक 25. 09.99 द्वारा निष्प्रभावी करार दिया था। ऐसे स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित नामांतरकरण को निरस्त करना चाहिए था। परन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस नामांतकरण के समक्ष विवादित शब्द अंकित करने का जो आदेश पारित किया वह पूर्णतया विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रथम विक्रय पत्र दिनांक 16.09.94 का कोई अस्तित्व ही नहीं था क्योंकि न्यायालय के स्थगन आदेश होने के बावजूद उक्त विक्रय पत्र गलत निष्पादित किया गया था। ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। द्वितीय अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकण संख्या 103 को सिविल न्यायालय द्वारा शून्य करार दिया जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर/1114/2006/बांरा** **रामकरण बनाम रितु कटियाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चुका तथा उस पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया था तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के आगे कोई कार्यवाही करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। परन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय उक्त विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करने का निवेदन किया। प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित आराजी खातेदार प्रेमनारायण वगैहरा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.0.09.94 के द्वारा उचित प्रतिफल देकर प्राप्त की है एवं पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ही अप्रार्थी के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 103 स्वीकृत किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराये जाने बाबत न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांरा के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। जिला न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.09.99 से उक्त विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य घोषित किया गया था। जिला न्यायाधीश के उक्त निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील सं0 330/99 प्रस्तुत की गयी। जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है, इसलिए जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अंतिम नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मूल खातेदार के अधिकारों का निर्धारण राजस्व वाद के निस्तारण के उपरांत तय होगें। इसलिए नामांतरकरण को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं था बल्कि उसके आगे विवादित शब्द लिख दिया जाना चाहिए था एवं दावे के निस्तारण के पश्चात दावे के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर/1114/2006/बांरा** **रामकरण बनाम रितु कटियाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये नामांतकरण को निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 103 विधिसम्मत है या नहीं ? पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है विवादित भूमि के मूल खातेदार प्रेमनारायण वगैरा के विरूद्ध प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की माता घीसीबाई ने एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया हुआ था। उक्त वाद में दिनांक 31.05.91 को प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। उक्त स्थगन आदेश के होते हुये प्रेमनारायण वगैरा ने दिनांक 16.09.94 को अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का बेचान कर दिया। न्यायालय का स्थगन होने के कारण खातेदारान को विवादित भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था एवं ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक अधिकार हासिल नहीं होते है। न्यायालय जिला न्यायाधीश, बांरा ने भी अपने निर्णय दिनांक 25.09.99 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.09.94 को निष्प्रभावी करार दिया था। जब पंजीकृत विक्रय पत्र को ही सिविल न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी करार दिया गया है तो ऐसे शून्य व निष्प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामांतरकरण का औचित्य ही नहीं था। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमियों के सबंध में पक्षकारों के मध्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर/1114/2006/बांरा** **रामकरण बनाम रितु कटियाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियमित राजस्व वाद और सिविल वाद भी सबंधित न्यायालयों में विचाराधीन चल रहे है। नामांतरकरण की कार्यवाही लगान/भू राजस्व की देयता के लिए एक संक्षिप्त वित्तीय कार्यवाही ही मात्र होती है जिसके तहत पक्षकारों के अधिकारों का गुणावगुण पर अंतिम निर्धारण नहीं किया जा सकता है। चूंकि जब पंजीकृत विक्रय पत्र को ही सिविल न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी करार दिया गया है तो ऐसे शून्य व निष्प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये नामांतरकरण का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 रितु कटियाल के पक्ष में खोला गया नामांतरकरण संख्या 103 दिनांक 04.12.98 विधिसम्मत नहीं पाया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 05.02. 2003 के अंतिम पैरा में यही तथ्य अंकित किये है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होन से स्वीकार की जाती है। द्वितीय अपीलीय न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2005 अपास्त किया जाता है एवं प्रथम अपीलीय न्यायायल जिला कलेक्टर, बांरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2003 बहाल रखा जाता है। निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** **सदस्य**	